।। कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग ।।

–: निविदा सूचना :–

कमांक/ /रा0वि0बा0/2017–18 दुर्ग दिनांक.....................

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, नगर पालिक निगम, दुर्ग के नियंत्रणाधीन निम्नाकिंत अस्थायी वसूली ठेका अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिये ठेके पर दिये जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से बंद लिफाफे में ऑफर दिनांक 27.03.2017 को 4.00 बजे तक नगर पालिक निगम (बस डिपो) कार्यालय में निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 27.03.2017 को 5.00 बजे उपस्थित ऑफरकर्ताओ के समक्ष खोंली जावेंगी। निविदा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक से प्राप्त किया जावेगा। निविदा सीधे कार्यालय में नही लिया जावेगा। ठेके पर दी जाने वाली मदों का विवरण :–

क्रं0	मद	ठेका राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य
01	नया बस क्षेत्र स्टैण्ड सायकल/स्कुटर, वाहन, पार्किंग/बस स्टैण्ड के अंदर खडी बस एंव चार/छह चक्का वाहन शुल्क ठेका	9,00,000.00	90,000.00	300.00

शर्तेः–

01. निविदा की नियम एवं अनुबंध शर्ते एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाईट **www.municipalcorporationdurg.com** एंव **www.uad.cg.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य व अमानत राशि का डी0डी0 व पृथक संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र कार्यालय से नही दिया जावेगा।

02. नियम द्वारा निर्धारित ठेका राशि से कम ऑफर पर ठेका स्वीकार नही किया जावेगा।

03. निविदा कार्य पर निविदाकर्ता का फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा। साथ ही आई0डी0 (परिचय पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

04. निविदा तीन लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत करना होगा। निफाफा "अ" में अमानत राशि के रूप में डी0डी0 एवं अन्य वांछित दस्तावेज की छायाप्रति, लिफाफा "ब" मे निविदा प्रपत्र की प्रति तथा लिफाफा "स" में लिफाफा "अ" एवं "ब" को डालना होगा। डी0डी0 लिफाफा खोलने के बाद ही आफर लिफाफा खोला जाएगा लिफाफा में कार्य का नाम लिखना अनिवार्य होगा।

05. ठेका अधिपत्य दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगा।

06. अन्य शर्ते कार्यालयीन अवधि में देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0कमांक/ /रा0वि0बा0/2017–18 2040/06 दुर्ग दिनांक 21/3/2017

प्रतिलिपि :–

01. मान0 महापोर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
02. मान0 सभापति जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
03. प्रभारी बाजार अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
04. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
05. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग को दैनिक समाचार पत्रों प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ।
06. श्री टी0के0 देव, सहायक नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ

आयुक्त
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: निविदा प्रपत्र ::—

इंदिरा मार्केट / सायकल पार्किंग शुल्क वसूली ठेका

फोटो

प्रति,

आयुक्त ,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

विषय :— ठेका लेने हेतु ऑफर।

संदर्भ :— आपका विज्ञापन कमांक.................... दिनांक.......................

—00—

इंदिरा मार्केट / नया बस स्टैण्ड स्कूटर / सायकल पार्किंग शुल्क वसूली ठेका वर्ष 2017—18 हेतु अर्थात दिनांक .... तक की अवधि के लिये लिये मेरा ऑफर ठेका राशि रू..................... अक्षरी ....है।

अतः ठेका की शर्त मुझे स्वीकार है, इस हेतु निर्धारित धरोहर राशि रूपये................................अक्षरी...का डी0डी0 / बैंक ड्राफ्ट कमांक .... दिनांक ....एवं निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रूपये.................................. डी0डी0 / बैंक ड्राफ्ट कमांक............................... दिनांक.............संलग्न कर रहा हूँ।

ऑफरकर्ता का हस्ताक्षर ....

दिनांक......................... नाम..

पिता का नाम ....

पता ....

मोबा.नं. ....

d/ leena/new bazaar

।।कार्यालय नगर पलिक निगम ,दुर्ग।।

नया बस स्टैंण्ड स्थित सायकल स्कूटर पार्किंग एंव बस स्टैण्ड के अंदर खडी बस एंव चार/छह चक्का वाहन शुल्क की वसूली का अधिकार वर्ष 2017–18 के लिए ठेके पर दिये जाने नीलामी /निविदा की नियम एवं शर्तेः–

1. ठेके की अवधि आधिपत्य दिनांक से 01 वर्ष तक की होगी।
2. नीलामी /निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को कार्यवाही के पूर्व अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है। नीलामी / निविदा की कार्यवाही उपरान्त सफल बोलीदार/ आफरकर्ता की राशि को रोककर कोश अन्य की जमा धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी। सफल बोलीदार / आफरकर्ता की जमा धरोहर राशि / रोकी गई राशि को ठेका की अंतिम किश्त में समायोजित की जा सकेगी अथवा सफलतापूर्वक ठेका समाप्ति पश्चात् वापस कर दी जावेगी।
3. नीलामी / निविदा की उच्चतम/ अधिकतम राशि की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करने का अधिकार महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग को होगा एवं इस संबंध में उनका निर्णय अतिम एवं मान्य होगा।
4. नीलामी अथवा आफर की उच्चतम राशि की स्वीकृति उपरान्त उक्त राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। विहित समयानुसार राशि जमा नहीं किये जाने अमानत राशि जब्त कर पुनः ठेका दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी। ठेका की शेष 50 प्रतिशत राशि को 2 समान मासिक किश्तों के रूप में अग्रिम चेक (पोस्ट डेट) द्वारा देना होगा।
5. ठेका समाप्ति होने की दशा में पुनः ठेका देने की कार्यवाही की जावेगी अथवा पार्किंग शुल्क वसूल करने किसी अन्य को अधिकृत करेगी अथवा निगम के अपने स्वयं के कर्मचारियो से वसूल करायेगी। इस प्रकार होने वाली अर्थिक क्षति की पूर्ति ठेकेदार के संपत्ति से वसूल करायेगी। इस प्रकार होने वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति ठेकेदार के संपत्ति से वसूल कर की जावेगी।
6. बस स्टैण्ड के अंदर खडी बस एंव चार/छह चक्का वाहन प्रथम धण्टा निःशुल्क एंव उसके उपरांत खडी होने पर प्रति धण्टा 50/– (पचास)रूपये शुल्क लिया जाएगा
7. पार्किंग स्थल में खड़ी वाहनो की पूर्ण सुरक्षा की जावाबदारी ठेके दार की होगी। पार्किंग स्थल से वाहनों की चोरी अथवा टूट फूट या नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार जवाबदार होगा एवं उसकी अदायगी करेगा। इस संबंध में नुकसान अथवा क्षति के लिए नगर निगम,दुर्ग जवाबदार नहीं रहेगा।
8. पार्किंग स्थल का उपयोग केवल वाहन खड़ी करने के ही कार्य किया जावेगा।इस स्थल पर सामान इकठ्ठा रखने का कार्य नहीं करेगा।
9. पार्किंग स्थल का जिस रूप निर्माण किया गया है, उसके स्वरूप को यथावत बनाया रखा जावेगा। इस पर शेड निर्माण की मांग ठेकेदार नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार का विवाद का मुद्दा बनायेगा।
10. किसी भी दशा में अधिकृत ठेकेदार के द्वारा ठेके की अवधि में पार्किंग शुल्क की वसूली का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगा। यदि ऐसा किया जाता है। तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह ठेका समाप्त कर ऐसा किया जाता है तो